

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.4(ई) द्वितीय एसीपी/अलेसे -III/ 8319-8350

दिनांक :- 17.06.2015

विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,

विषय :- प्रथम चयनित वेतनमान/द्वितीय एसीपी स्वीकृति बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके विभाग/कार्यालय में कार्यरत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार के प्रथम चयनित वेतनमान/द्वितीय एसीपी स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरण में उनके नाम के सम्मुख तालिका के कॉलम संख्या 05 पर अंकित कमियाँ पाई गई है। अतः आप संबंधित कनिष्ठ लेखाकार के प्रकरण में पाई गई कमी/आक्षेप की पूर्ति कर प्रकरण अविलम्ब इस विभाग को प्रेषित करने का श्रम करावें :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार सर्वश्री	पदस्थापन स्थान	मेरिट/बैच	आक्षेप का विवरण
1	2	3	4	5
1.	योगेन्द्र प्रकाश व्यास	ह.मा.राज.रा.लो.प्रशासन संस्थान, जोधपुर।	323/94	वर्ष 2008-09 से 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
2.	गोविन्द सिंह चौधरी	कोषाधिकारी, सिराही।	DGS/94	वर्ष 2006-07 एवं 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें। प्रकरण निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में भिजवायें।
3.	मांगीलाल सोलंकी	राज.रा.खा. एवं ना.आपूर्ति निगम लि. जयपुर।	544/94	वर्ष 2006-07 से 2012-13 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
4.	सुधीन्द्र पाल सिंह	कोषाधिकारी, भरतपुर।	280/94	वर्ष 2008-09 से 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
5.	नैन सिंह तंवर	पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।	528A/94	वर्ष 2008-09 से 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
6.	महेन्द्र कुमार सेठी	जिला मंच उपभोक्ता संरक्षण, अजमेर।	525/94	वर्ष 2006-07, 2009-10 एवं 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
7.	सूर्य प्रकाश माथुर	जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) पाली।	551/94	वर्ष 2007-08 से 2008-09 एवं 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
8.	राजेश कुमार	ब्लाक प्रा.शिक्षाधिकारी, वैर (भरतपुर)।	215/90	प्रकरण निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में भिजवायें।
9.	अशोक कुमार जैन	अधीक्षण अभियन्ता, जल संसाधन वृत्त अजमेर।	585/90	वर्ष 2006-07 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
10.	रमेश कुमार सक्सेन	ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)।	239/90	वर्ष 2005-06 से 2011-12 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
11.	ललित कुमार गुप्ता (प्रथम चयनित वेतनमान)	संयुक्त सचिव, वित्त (व्यय-4) विभाग, जयपुर।	DGS/94	वर्ष 1998-99 से 2000-01 एवं 2003-04 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
12.	करण सिंह	ब्लॉक प्रा. शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, कोटपूतली।	508/94	वर्ष 1997-98 एवं 2002-03 से 2003-04 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
13.	कमल कुमार मनोचा	कोषाधिकारी, अजमेर।	DGS	वर्ष 2006-07 से 2008-09 एवं 2010-11 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
14.	पृथ्वीराज	निदेशक, मा. शिक्षा राज. अजमेर	562/94	वर्ष 2004-05 से 2011-12 एवं 2013-14 की एपीएआर अनुपलब्ध, भिजवायें।
15.	अशोक कुमार गुप्ता	सामु.स्वा.केन्द्र राशमी	66/92R	प्रकरण निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में भिजवायें।

संलग्न - उपरोक्तानुसार (प्रारूप)

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(जसवन्त सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी/अलेसे -III/ 8319-350

दिनांक :- 17.06.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उपनिदेशक, एसीपी कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
2. सम्बन्धित कनिष्ठ लेखाकार

(हस्ताक्षर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III)

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ. 14 (88) वित्त/नियम/2008-I&II दिनांक 31.12.09 के तहत संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं संतान सम्बन्धी शपथ पत्र

मैं पद कार्यालय एतद् द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :-
1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र/पुत्री) की संख्या थी:-

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

2. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

या

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है एवं वर्तमान में बच्चों (पुत्र/पुत्री) की कुल संख्या है।

क्रम संख्या	नाम	जन्म तिथि
1.		
2.		
3.		

दिनांक:

हस्ताक्षर मेरे सम्मुख किये गये

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर

हस्ताक्षर

नाम

पद

मैरिट संख्या

वर्तमान विभाग

दूरभाष नम्बर-

सन्तोषजनक सेवा आदि प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पद मैरिट संख्या ने उक्त घोषणा पत्र मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं तथा सेवा पुस्तिका एवं उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री ने कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर प्रथम नियुक्ति होने पर दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह में कार्यग्रहण किया तथा इनको प्रथम/द्वितीय/तृतीय ए.सी.पी. दिनांक को देय हो गया है तथा समय-समय पर जारी निर्देशों एवं 31.12.2009 के परिपत्र को ध्यान में रखते हुये यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :-

- इनके विरुद्ध कोई विभागीय/फौजदारी जॉच लम्बित/प्रस्तावित नहीं है तथा पूर्व में इन्हें कोई दण्ड नहीं दिया गया है। (यदि इसके विपरीत स्थिति हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जावे)
- सेवा पुस्तिका के अनुसार इन्हें ए.सी.पी. देय तिथि से पिछले सात वर्षों से नियमित रूप से वेतन वृद्धियां मिल रही हैं तथा इनकी सेवाये संतोषजनक हैं।
- इन्होंने प्रथम पदोन्नति पद पर दिनांक को, द्वितीय पदोन्नति पद पर दिनांक को, तथा तृतीय पदोन्नति पद पर दिनांक को मिली है।
- इनको पदोन्नति प्रथम/द्वितीय/तृतीय ही मिली है।
- इन्होंने प्रथम/द्वितीय/तृतीय पदोन्नति पर को दिनांक को फोरगो किया है।
- इन्होंने पदोन्नति फोरगो नहीं की है।
- ये पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2008 में वेतन श्रृंखला में पे बैण्ड में दिनांक से वेतन प्राप्त कर रहे हैं। (प्रति संलग्न करें)
- इनकी सेवा पुस्तिका के आधार पर जन्मतिथि है।
- 20 जनवरी 2006 को या इसके पश्चात् नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) नियम 7 (30 A) ने यदि 90 दिन से अधिक की E.O.L. ली है तो E.O.L. की अवधि दिनांक से तक है।
- कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार के पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व समान वेतन श्रृंखला में अन्य सरकारी विभाग में की गई सेवा (यदि कोई हो) का विवरण मय सेवा पुस्तिका की सत्यापित प्रति के (स्पष्टीकरण दिनांक 31.12.2009 II (iii))
- इन्हें प्रथम चयनित वेतनमान निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत एवं द्वितीय चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी. निदेशालय के आदेश संख्या द्वारा दिनांक से स्वीकृत की जा चुकी है। (आदेश प्रति संलग्न करें।)

वर्तमान कार्यालयाध्यक्ष
हस्ताक्षर मय मोहर